न्यायालय–अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश –II
रोहतास सासाराम
रोहतास थाना कांड सं0 45/2003
रजिस्ट्रेशन नं0 29/2003

28.07.2026 अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त सुनील चौधरी के विरूद्ध रोहतास थाना कांड सं0 45/2003 अंतर्गत धारा 47 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 के अंतर्गत दिनांक 23.06.2003 को दर्ज किया गया था। अभियुक्त की उपस्थिति हेतु जारी सम्मन का तामिला की फोटो कॉपी अभिलेख पर उपलब्ध है जिसका अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त सुनील चौधरी की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में अभियुक्त सुनील चौधरी के विरूद्ध इस वाद की कार्रवाई जारी रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त सुनील चौधरी के मृत्यु हो जाने के कारण इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित एवं शुद्धित)

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश –II
रोहतास सासाराम